



संख्या:-4010-औस/2018-11(1)ए०एस०/०९

दिनांक: ०९ अक्टूबर, २०१८

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता दिनांक ३०.०९.२०१८ के उपरान्त दिनांक ०१.१०.२०१८ से अग्रेतर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-२०१०-औस/२०१६-११(१)ए०एस०/०९(१८) दिनांक ०७.०७.२०१८ की सूची-३ में अंकित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता अवधि दिनांक ०१.१०.२०१८ से अग्रेतर बढ़ाये जाने हेतु सम्बन्धित चिकित्सालयों से माँगी गयी सूचना प्राप्त होने/प्राप्त न होने के कारण तथा कारपोरेशन कर्मियों के उपचार में व्यवधान/असुविधा न हो इस तथ्य के दृष्टिगत पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-४४५२-औस-१७/पाकालि/०२, दिनांक ०९.१२.२००२ एवं आदेश संख्या-३५९३-औस-१७/पाकालि/२००३, दिनांक २१.०७.०३ में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-२०१०-औस/२०१६-११(१)ए०एस०/०९(१८) दिनांक ०७.०७.२०१८ एवं तत्कम में निर्गत आदेश संख्या-३५७०-औस०/२०१८ दिनांक ०५.०९.२०१८ के अनुक्रम में एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. संलग्न सूची-१ में इंगित २० चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की दिनांक ३०.०९.२०१८ के उपरान्त दिनांक ०१.१०.२०१८ से ३०.०६.२०२० तक बढ़ायी जाती है।
2. संलग्न सूची-२ में उल्लिखित १४ चिकित्सालयों द्वारा कारपोरेशन के पत्रांक-३५७१-औस/२०१८ दिनांक ०५.०९.२०१८ द्वारा माँगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध न कराने के कारण कारपोरेशन के कार्मिकों को तत्काल असुविधा न हो इसलिए इन चिकित्सालयों की मान्यता दिनांक ३०.०९.२०१८ के उपरान्त दिनांक ०१.१०.२०१८ से ३१.१२.२०१८ तक बढ़ायी जाती है। यदि इस अवधि में इन चिकित्सालयों द्वारा कारपोरेशन के उपरांकित आदेश द्वारा माँगी गयी सूचनायें कारपोरेशन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो दिनांक ३१.१२.२०१८ के बाद मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
4. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
5. संलग्न सूची में इंगित चिकित्सालयों द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

संलग्नक :- चिकित्सालयों की सूची।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-4010-(1) औस/2018-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ८वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

NK Mathur कमरा:.....2...../-

(2)

4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/ प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

NKA Mathur
(नवनीत माथुर) 9.10.18
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4010-औसं/2018-11(1)ए0एस0/09(18), दिनांक 09.10.2018 का अनुलग्नक।
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 30.09.2018 के उपरान्त दिनांक 01.10.2018 से 30.06.2020 तक मान्यता
प्राप्त चिकित्सालयों की सूची।

(उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः
कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।)

सूची-1

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1.	शेखर हॉस्पिटल, चर्च रोड, इन्दिरानगर, बी-ब्लॉक, लखनऊ।	30.06.2020
2.	के0के0 हॉस्पिटल, 87/88 नवीउल्ला रोड, रिवर बैंक कालोनी लखनऊ।	30.06.2020
3.	लखनऊ कैंन्सर इन्स्टीट्यूट, मानस नगर, जियामऊ, लखनऊ।	30.06.2020
4.	रिलीफ हॉस्पिटल, निकट-रामानन्द मार्केट, त्रिवेणीनगर, एन0एच0-24, सीतापुर रोड, लखनऊ।	30.06.2020
5.	क्लेरा स्वैन मिशन अस्पताल, बरेली।	30.06.2020
6.	लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ।	30.06.2020
7.	आई0आई0एम0टी0 लाइफ लाइन हॉस्पिटल, ओ पॉकेट, गंगानगर मवाना रोड, मेरठ	30.06.2020
8.	डा0 जवाहरलाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हॉस्पिटल, जी0टी0 रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर।	30.06.2020
9.	अपोलो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स प्रा0लि0, 14/138, चुन्नीगंज, माल रोड, कानपुर	30.06.2020
10.	विनीता हॉस्पिटल प्रा0लि0, 10-3A, बाइपास रोड, फाफामऊ, इलाहाबाद।	30.06.2020
11.	ज्योति इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड रिहैबिलिटेशन साइन्सेस (जीमार्स) विकलांग केन्द्र, भारद्वाज आश्रम, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।	30.06.2020
12.	पापुलर मेडिकेयर लिमिटेड, एन0-10/ 60, ए-2, डी0एल0डब्लू0 नियर रेलवे ओवरब्रिज, ककरमत्ता, वाराणसी।	30.06.2020
13.	रेडिक्स हॉस्पिटल प्रा0लि0, ककरमत्ता डी0एल0डब्लू0 रोड, वाराणसी।	30.06.2020
14.	महाश्वेता हास्पिटल प्रा0लि0, एम0ए0 रोड, जेल के सामने, चौकाघाट, वाराणसी।	30.06.2020
15.	टी0एम0यू0 हॉस्पिटल, तीर्थाकर महावीर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बागड़पुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।	30.06.2020
16.	सक्षम हॉस्पिटल, देहली रोड नियर ऑफिसर्स कालोनी, सहारनपुर।	30.06.2020
17.	मूलचन्द मेडिसिटी, आगरा मथुरा रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, अरतोनी, आगरा।	30.06.2020
18.	वरुण ट्रामा व बर्न सेण्टर प्रा0लि0, रामघाट रोड, अलीगढ़।	30.06.2020
19.	अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबारी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, फैजाबाद।	30.06.2020
20.	मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर- 38, गुडगाँव हरियाणा।	30.06.2020

Naf Mathur
(नवनीत माथुर) 9.10.18
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4010-औसं/2018-11(1)ए0एस0/09(18), दिनांक 09.10.2018 अनुलग्नक।
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 30.09.2018 के उपरान्त दिनांक 01.10.2018 से 31.12.2018 तक मान्यता
प्राप्त चिकित्सालयों की सूची।

(उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः
कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।)

सूची-2

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1.	बृजराज हॉस्पिटल एण्ड सुपर स्पेशियलिटी सेण्टर, तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, चौक, लखनऊ।	31.12.2018
2.	मेडिसिन हॉस्पिटल, नियर टेढी पुलिया, रिंग रोड, लखनऊ।	31.12.2018
3.	सिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।	31.12.2018
4.	लवी शुभ हॉस्पिटल, प्रा0लि0, बी-3/75, विवेक खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	31.12.2018
5.	डेण्टल केयर क्लीनिक, 3 नवल किशोर रोड, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।	31.12.2018
6.	गंगा डेण्टल क्लीनिक, 37 सिटी सेण्टर, निकट बच्चा पार्क, मेरठ।	31.12.2018
7.	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद।	31.12.2018
8.	सुरभि हॉस्पिटल प्रा0लि0, गोल्फ कोर्स रोड, मोरना, सेक्टर-35, नोएडा।	31.12.2018
9.	मैक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नं0-4ए, सेक्टर- इन्स्टीट्यूशनल ग्रीन, ग्रेटर नोयडा।	31.12.2018
10.	सुलक्ष्मी हॉस्पिटल, 2-ए//28, आजाद नगर, कानपुर।	31.12.2018
11.	सरस्वती हार्ट केयर एण्ड रिसर्च सेण्टर (प्रा0लि0), इलाहाबाद।	31.12.2018
12.	एस0पी0 सर्जिकल सेण्टर, 2/3 मृत्युन्जय धाम कालोनी सिकरौल, जे0पी0 मेहता इण्टर कालेज के पास, वाराणसी।	31.12.2018
13.	मेरीडियन नर्सिंग होम एण्ड हॉस्पिटल्स प्रा0लि0 लेढुपुर (पावर हाउस के सामने) गाजीपुर रोड, आशापुर, वाराणसी।	31.12.2018
14.	रूसा मेडिकल सेण्टर, आगरा रोड, अलीगढ़।	31.12.2018

Naf Mathi
(नवनीत माथुर) 9.10.18
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी